



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082022-238219
CG-DL-E-20082022-238219

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3708]
No. 3708]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2022/श्रावण 27, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2022/SHRAVANA 27, 1944

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2022

का.आ. 3882(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 (वर्ष 1997 का 24) की धारा 14 ख की उपधारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के साथ परामर्श से यह अधिसूचित करती है कि अपीलीय प्राधिकरण नई दिल्ली में बैठक करने के अतिरिक्त इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष मामलों की आत्ययिकता, प्रकृति और न्याय के हित में महाराष्ट्र राज्य में मुंबई और पुणे में, तमिलनाडु राज्य में चेन्नई में, ओडिशा राज्य में कटक में, पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता में, पंजाब राज्य के अमृतसर में और मध्यप्रदेश राज्य में इंदौर में भी अपनी बैठकें आयोजित करेगा।

[फा. सं. 15-02/2022-पुनर्गठन]
सुनील कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2022

S.O. 3882(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 14 B of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government, in consultation with the Chairperson of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, hereby notifies that in addition to holding sittings at New Delhi, the Appellate Tribunal shall also hold, for a period of two years from the date of publication of this Notification, its sittings at Mumbai and Pune in the State of Maharashtra; Chennai in the State of Tamil Nadu; Cuttack in the State of Odisha; Kolkata in the State of West Bengal; Amritsar in the State of Punjab and Indore in the State of Madhya Pradesh having regard to the urgency, nature and in the interest of justice in the matters before the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal.

[F. No. 15-02/2022-Restg.]

SUNIL KUMAR VERMA, Jt. Secy.